न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 01/2023

बउनवान

धनराज मीणा, बीज निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (मु.) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, बारां 8949714066 **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री जितेन्द्र पुत्र श्री किशनचन्द्र मालव निवासी गोविन्दपुरा (अन्ता) मो. 9001942542, **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के अनुच्छेद 3

उपस्थिति :— 1. स्वयं **(प्रार्थी)**

निर्णय दिनांक 28.02.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.07.2023 को मै. शिव किसान सेवा केन्द्र अन्ता का निरीक्षण किया गया। फर्म के प्रोपराईटर जितेन्द्र पुत्र श्री किशनचन्द्र मालव हैं। निरीक्षण में आवश्यक दस्तावेज (अनुज्ञापत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि) चाहे गये जो वह देने में असमर्थ रहा और अवैध बीज का स्टॉक पाया गया जिस पर जब्ति की कार्यवाही कर बीज को क्रय विक्रय समिति अन्ता में रखवाया गया है और एफआईआर दर्ज कराई गई। मौके पर कार्यवाही का मौका पर्चा व जब्ति प्रपत्र तैयार किये गये। बीज का विवरण उडद 36 किग्रा., मक्का 67 किग्रा., धान 250, धनिया 16 किग्रा., पालक 6.5 किग्रा, तथा खुले बैग— मक्का 60 किग्रा., बाजरा 6 किग्रा., ज्वार 10 किग्रा., ज्वार चरी 15 किग्रा., मूंग 30 किग्रा., धान 10 किग्रा., सब्जी बीज पैकिट 334 (संख्या) पाये गये। अप्रार्थी का यह कृत्य बीज का अवैध कारोबार कर बीज नियंत्रण आदेश 198 के अनुच्छेद 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7(i)(ए)(ii) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा राजसात योग्य है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के अनुच्छेद 3 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। हमने एकपक्षीय बहस प्रार्थी की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

बहस के दौरान प्रार्थी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी ने बिना अनुज्ञापत्र बीज का संग्रहण एवं विक्रय कर बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अनुच्छेद 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7(i)(ए)(ii) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा सामग्री को राजसात कर निस्तारण के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड [illegible]त् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक [illegible].07.2023 को मै. शिव किसान सेवा केन्द्र अन्ता का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज (अनुज्ञापत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि) उपलब्ध नही कराये। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा बगैर अनुज्ञापत्र बीज का अवैध भंडारण एवं विक्रय किया गया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा बीज स्टॉक को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा उडद 36 किग्रा., मक्का 67 किग्रा., धान 250, धनिया 16 किग्रा., पालक 6.5 किग्रा, खुले बैग– मक्का 60 किग्रा., बाजरा 6 किग्रा., ज्वार 10 किग्रा., ज्वार चरी 15 किग्रा., मूंग 30 किग्रा., धान 10 किग्रा., सब्जी बीज पैकिट 334 (संख्या) को राजसात किया जाता है। बीज निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (मु.) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा बीज स्टॉक की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहितावश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर बारां
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:28 IST
Reason: SelfAttested